न्यायालय डिवीजनल कमिश्नर, जोधपुर
पीठासीन अधिकारी : बाबूलाल कोठारी, आई.ए.एस

राजस्व प्रथम अपील संख्या 33/2019

अपीलान्ट		रेस्पोडेन्ट
1. शान्ति देवी पत्नी हनुमानसिंह उम्र 50 वर्ष जाति राजपुरोहित निवासी ग्राम खाराबेरा पुरोहितान तहसील, लूणी जिला, जोधपुर 2. श्री आत्मानंद शिक्षण संस्थान जरिये अकृित प्रतिनिधि सचिव राकेश जांगीड पुत्र श्री पूरणमल जांगिड निवासी गायत्री विहार, रातानाडा।	बनाम	1. नन्दकिशोर भण्डारी पुत्र श्री गंगाबिशन जाति महेश्वरी निवासी लालसागर, जोधपुर 2. तहसीलदार,जोधपुर।

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 विरूद्ध आदेश दिनांक 5.2.2019 द्वारा सहायक कलेक्टर एवं खण्ड अधिकारी जोधपुर आदेश संख्या राजस्व/2019/89 मे पारित किया गया।

उपस्थितिः—

1. श्री मोती सिंह राजपुरोहित, अधिवक्ता अपीलान्ट की ओर से उपस्थित
2. दीपक चांण्डक तथा रोशन लाल अधिवक्ता, रेस्पोडेंट सं. 1 की ओर से उपस्थित।
3. रेस्पोडेंट सं. 2 की और से राजकीय अधिवक्ता उपस्थित।

निर्णय

दिनांकः—

प्रस्तुत राजस्व अपील प्रकरण के तथ्य संक्षिप्त में इस प्रकार से है कि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ने अपने खातेदारी खेत खसरा संख्या 323/2, 323/4, 324, 325/1/1 14 बीघा 10 बिस्वा, ग्राम झालामण्ड, जोधपुर की सीमांकन व तरमीम करने का प्रार्थना पत्र तहसीलदार, जोधपुर के समक्ष पेश किया। तहसीलदार, जोधपुर ने हल्का पटवारी को सीमांकन करने के निर्देश दिये गये। पटवारी द्वारा जो फर्द रिपोर्ट बनायी

गयी उससे रेस्पोडेन्ट संतुष्ट नही होने पर रेस्पोडेन्ट द्वारा उपखण्ड अधिकारी के समक्ष एक प्रार्थना पत्र दिनांक 4.2.2019 को प्रस्तुत कर निवेदन किया कि आर.आई व पटवारी सामने वाली पार्टी के दबाव मे आकर सही सीमांकन नही कर रहे है। अतः नई टिम गठित कर समीमांकन करने के तहसीलदार को आदेश प्रदान करावें। जिस पर उपखण्ड अधिकारी, जोधपुर ने आदेश दिनांक 5.2.2019 के द्वारा तहसीलदार को निर्देश दिये कि वे एक टीम गठित कर उपरोक्त खसरान की भूमियों का माप व तरमीम करते हुए रिपोर्ट पेश करें। उक्त आदेश से व्यथित होकर अपीलान्ट ने उक्त अपील न्यायालय हाजा के समक्ष पेश की है।

हमने उपस्थित अपीलान्ट एवं रेस्पोडेन्ट के अधिवक्ता की बहस सुनी। अपीलान्ट के अधिवक्ता ने कथन किया कि उपखण्ड अधिकारी, जोधपुर द्वारा प्रशासनिक पत्र के माध्यम से न्यायिक आदेश पारित कर दिया। अतः उपखण्ड अधिकारी, जोधपुर के आदेश दिनांक 5.2.2019 को निरस्त फरमाया जावे।

रेस्पोडेन्ट के अधिवक्ता ने कथन किया है। उपखण्ड अधिकारी, जोधपुर द्वारा प्रभावित पक्षकारों को सुनवाई का अवसर दिये बिना ही आदेश पारित कर दिया है तो प्रकरण पुनः उपखण्ड अधिकारी, जोधपुर को रिमाण्ड किया जाता है तो उन्हे कोई आपत्ती नही है। इस संबंध मे अपीलान्ट के अधिवक्ता ने भी अपनी सहमति प्रकट की।

अपीलान्ट के अधिवक्ता के अधिवक्ता ने पत्रावली बहस मे रहते आदेश 1 नियम 10सी.पी.सी का प्रार्थना प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अन्य खातेदारों को भी पक्षकार बनाया जा कर सुनवाई का अवसर दिया जावे। चुंकि दोनों पक्ष प्रकरण को रिमाण्ड करने पर सहमत है। ऐसी स्थिति प्रकरण को अनावश्य लम्बित नही रखते हुए उक्त प्रार्थना पत्र पर किसी प्रकार का निर्णय नही लिया जाकर उपखण्ड अधिकारी, जोधपुर को अपील के निर्णय के साथ भिजवाया जाना उचित प्रतीत होता है। उपखण्ड अधिकारी अपने विवेक से उक्त प्रार्थना पत्र निर्णय ले सकते है।

हमने अपीलान्ट व रेस्पोडेन्ट के अधिवक्ता की बहस पर मनन किया। दोनों पक्षों के अधिवक्ता प्रकरण को रिमाण्ड करने पर सहमत है। ऐसी स्थिति मे अन्य बिन्दुओं पर विवेचन की कोई आवश्यकता प्रतीत नही होती हैं। उपखण्ड अधिकारी को निर्देशित किया जाता है कि वे प्रकरण यदि न्यायिक प्रकृति का हो तो प्रशासनिक पत्र के जरिए इस प्रकार

के आदेश ना करें। प्रकरण को विधिवत रूप से उपयुक्त धारा मे दर्ज कर पक्षकारों को सुनवाई का अवसर प्रदान संबंधित धारा अंकित करते हुए निर्णय पारित करें।

उपरोक्त विवेचन व विश्लेषण के आधार पर अपील अपीलान्ट आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है तथा अपीलाधीन आदेश दिनांक 5.2.2019 निरस्त कर प्रकरण उपखण्ड अधिकारी, जोधपुर को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया है कि वे प्रकरण को उपयुक्त धारा मे दर्ज कर दोनों पक्षों को सुनवाई का अवसर प्रदान कर नये सिरे से आदेश पारित करें। दोनों पक्षकारान सुनवाई हेतु दिनांक 15.4.2019 को उपखण्ड अधिकारी, जोधपुर के समक्ष उपस्थित हों। निर्णय दिनांक 3.4.2019 को सरे इजलास सुनाया गया

(बाबूलाल कोठारी)
डिवीजनल कमिश्नर,जोधपुर